

(1)

हम कि "आर्किड— ग्रीन इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड", (CIN No. U45400UP2013PTC055330/2012-13) कम्पनी एक्ट 1956 के प्राविधानो के अन्तर्गत कम्पनी इनकार्पोरेटेड है जिसका पंजीकृत कार्यालय 108, गोयल हाता धर्मशाला बाजार गोरखपुर (PAN No.AABCO8021B) जरिये निदेशक राजकुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय नथमल डालमिया निवासी 402 त्रिवेणी अपार्टमेंट गोयलहाता धर्मशाला बाजार, शहर गोरखपुर (Adhar No.414815847016) बोर्ड रेजलूशन दिनांक:06-07-2018 को अधिकृत किया गया है।

.....प्रथम पक्ष

श्री/श्रीमती .....(Adhar No.....) पुत्र/पत्नी .....  
.....निवासी..... (उ0प्र0) (PAN No.....)

.....द्वितीय पक्ष

ज्ञात हो कि विलियम ऑरलैण्ड आराजी संख्या-43 रकबा-1 एकड़ 80 डिसमिल 3 कड़ी वाका मौजा चकजलाल, तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला गोरखपुर व संलग्न अन्य आराजियात जो मौजा पुर्दिलपुर, तप्पा कस्बा परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर के मालिक काबिज थे जिसे "ओल्ड क्लब हाउस" के नाम से जाना जाता था। विलियम ऑरलैण्ड ने उक्त सम्पत्ति को श्री जुगुल किशोर पुत्र बाबू बिहारी लाल अग्रवाल को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक:16-06-1930 को विक्रय कर दिया था और बादहू स्वर्गीय राय बहादुर राम नरायन लाल श्रीवास्तव ने बंगला सहित आराजी नं0-43 रकबा-1 एकड़ 80 डिसमिल 3 कड़ी मौजा चक जलाल तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर, जिला गोरखपुर को श्री जुगुल किशोर पुत्र बाबू बिहारी लाल अग्रवाल से जरिये रजिस्टर्ड डीड दिनांक:22-07-1930 से क्रय किया जो बही नं0-1, जिल्द नं0-523 पृष्ठ संख्या-256 से 258 क्रमांक संख्या-47 पर दिनांक:25-07-1930 को निबन्धित है तथा वर्ष 1930 ई0 से ही स्वर्गीय राय बहादुर राम नरायन लाल श्रीवास्तव आराजी नम्बर-45मि0 रकबा-16 डिसमिल 2 कड़ी पर कब्जे के आधार पर मालिक काबिज दखील थे और इस तौर से स्वर्गीय राय बहादुर राम नरायन लाल श्रीवास्तव आराजी नम्बर-43 रकबा-1 एकड़ 80 डिसमिल 3 कड़ी व आराजी नम्बर-45मि0 रकबा-16 डिसमिल 2 कड़ी यानी कुल रकबा-1.965 एकड़ पर बतौर मालिक व काबिज दखील हुये।

(2)

विदित हो कि राय बहादुर राम नरायन लाल श्रीवास्तव के मृत्यु के उपरान्त उनके चार पुत्र क्रमशः स्वर्गीय कैलाश नरायन श्रीवास्तव व स्वर्गीय प्रकाश नरायन श्रीवास्तव व स्वर्गीय सूरज नरायन श्रीवास्तव व हृदय नरायन श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उपरोक्त सम्पत्ति के मालिक व काबिज दखील हुये और उक्त चारों पुत्रों ने आराजी संख्या-43(खतीनी में 43 मि0) व 45मि0 कुल रकबा-1. 965 एकड़ जिसमें कमर्शियल दुकाने और पुराना आवासीय भवन स्थित है के बावत करीब 18 वर्ष पूर्व आपसी सहमति /समझौते के आधार पर अपने-अपने हक व हिस्से पर काबिज दखील व कायम हुये तथा 18 वर्ष पूर्व हुये आपसी सहमति/समझौते को कैलाश नरायन श्रीवास्तव व प्रकाश नरायन श्रीवास्तव व सूरज नरायन श्रीवास्तव के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र वारिसानों व हृदय नरायन श्रीवास्तव के मध्य दिनांक:30-01-2015 को एक लिखित मेमोरण्डम निष्पादित किया गया।

विदित हो कि स्वर्गीय राय बहादुर राम नरायन लाल श्रीवास्तव आराजी नम्बर-45मि0 रकबा-16 डिसमिल 2 कड़ी पर कब्जे के आधार पर मालिक व काबिज दखील थे इसलिए जमीनदार हीरालाल व पन्नालाल के वारिसान से भविष्य में विवाद उत्पन्न न हो इसलिए स्वर्गीय राय बहादुर राम नरायन लाल श्रीवास्तव के वारिसान श्री संगम नरायन श्रीवास्तव व शोभित नरायन श्रीवास्तव व सुमन श्रीवास्तव व श्यामल नरायन ने खेवट खाता नं0-1 आराजी नम्बर-43मि0 रकबा-2 डिसमिल 8 कड़ी व आराजी नम्बर-45मि0 रकबा-16 डिसमिल 2 कड़ी स्थित मौजा घकजलाल, तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला गोरखपुर को हीरालाल व पन्ना लाल के वारिसानो अर्जुन कुमार अग्रवाल वगैरह से विक्रय विलेख दिनांक:11-07-2018 के जरिये क्रय कर लिया जो बही नं0-1, जिल्द न0-14769 पृष्ठ संख्या-223 से 370 क्रमांक संख्या-8054, दिनांक:11-07-2018 पर निबन्धित है।

विदित हो कि स्वर्गीय कैलाश नरायन श्रीवास्तव व स्वर्गीय प्रकाश नरायन श्रीवास्तव व स्वर्गीय सूरज नरायन श्रीवास्तव के वारिसान संगम नरायन श्रीवास्तव व शोभित नरायन श्रीवास्तव पुत्रगण स्वर्गीय प्रकाश नरायन श्रीवास्तव व श्रीमती सरोज श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय प्रकाश नरायन श्रीवास्तव व डॉ0 सुगंधा भारती व पूर्वी नरायन पाण्डेय पुत्रीगण स्वर्गीय प्रकाश नरायन श्रीवास्तव तथा सुमन श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय सूरज नरायन श्रीवास्तव व श्रीमती उमा श्रीवास्तव पत्नी स्व0 सूरज नरायन श्रीवास्तव व श्रीमती शिल्पी रंजन पुत्री स्वर्गीय सूरज नरायन श्रीवास्तव तथा श्यामल

(3)

नरायन पुत्र स्वर्गीय कैलाश नरायन श्रीवास्तव व श्रीमती पूनम श्रीवास्तव व श्रीमती रूपम नरायन व रोली नरायन पुत्रीगण स्वर्गीय कैलाश नरायन श्रीवास्तव आपसी सहमति/समझौता व मेमोरेण्डम दिनांक:30-01-2015 व बैनामा दिनांक:11-07-2018 के आधार पर खेवट खाता नं0-2/3 आराजी नं0-43 (खतीनी में 43मि0) व खेवट खाता नं0-1 प्लॉट नं0-43मि0 एवं 45मि0 मौजा चक जलाल, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर जिसमें पुराना आवासीय भवन व वाणिज्यिक दुकाने है के संयुक्त रूप में अपने अपने हक व हिस्से के मालिक व काबिज दखील और कायम है और उक्त भूमि के स्वामित्व से किसी अन्य का कोई वारता या सरोकार किसी भी प्रकार से नहीं है।

चूंकि श्री संगम नरायन श्रीवास्तव वगैरह द्वारा खेवट खाता नं0-2/3 आराजी नं0-43 (खतीनी में 43मि0) व खेवट खाता नं0-1 आराजी नं0-43मि0 एवं 45मि0 जिसमें पुराना आवासीय भवन वाणिज्यिक दुकाने है में अपने स्वामित्व के कुल रकबे में से रकबा-4490.65 वर्गमीटर पर बहुमजिली अनुमन्य भवन निर्माण करवाने के इच्छुक रहे परन्तु अनुभव व धन के अभाव के कारण वह लोग, कम्पनी प्रथम पक्ष जो कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है और बिल्डर का कारोबार करती है से सम्पर्क करके उक्त भूमि पर कम्पनी "आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा तय किये गये शर्तों पर बहुमजिली भवन निर्माण करवा देने का प्रस्ताव रखा तथा तय शर्तों के अनुसार दरमियान संगम नरायन श्रीवास्तव एवं 11 अन्य एक पक्ष व "आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड" द्वितीय पक्ष के मध्य एक पंजीकृत बिल्डर एग्रीमेन्ट विलेख दिनांक:13-07-2018 को निष्पादित हुआ जो बही नं0-1 जिल्द संख्या-14779 के पृष्ठ संख्या-93 से 216 पर बतौर विलेख क्रमांक संख्या 8192 के दिनांक:13-07-2018 को पंजीकृत होना दर्ज है। उक्त पंजीकृत बिल्डर एग्रीमेन्ट विलेख द्वारा तय शर्तों के अनुसार कम्पनी प्रथम पक्ष ने संगम नरायन श्रीवास्तव वगैरह के नाम से वांछित अनापत्तियों को प्राप्त करके मानचित्र संख्या-20190121195549030 दिनांक:21-05-2020 को स्वीकृत कराकर व UP RERA में प्रोजेक्ट "गोलघर सेन्ट्रल" को पंजीकृत कराया गया जिसका पंजीकरण संख्या..... है तदोपरांत बेसमेंट-1 में पार्किंग बेसमेंट-2 में पार्किंग व कार्माशियल दुकाने और भूतल व प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, पंचम तल व षष्ठम तल पर व्यवसायिक उपयोग हेतु बहुमजिली भवन

(4)

"गोलघर सेन्द्रल" मौजा चकजलाल, तप्पा-करवा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला गोरखपुर (जिसकी चौहद्दी पूरब मुख्य सड़क गोलघर व सम्पत्ति हृदय नरायन श्रीवास्तव एवं अन्य, पश्चिम नारायन टॉवर आदि, उत्तर बलदेव प्लाजा गली व दुकान हृदय नरायन श्रीवास्तव एवं अन्य, दक्षिण गौधी गली) का निर्माण कम्पनी "आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड" ने स्वयं के खर्च पर कराया है। निर्मित बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" में उपरोक्त बिल्डर एग्रीमेंट के अनुसार कम्पनी "आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड" निर्मित बिल्डिंग के 43% बिल्डिंग वो भूमि जो कि उक्त पंजीकृत बिल्डर एग्रीमेंट के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित है के तनहा वो पूर्ण मालिक व काबिज है तथा संगम नरायन श्रीवास्तव एवं 11 अन्य निर्मित बिल्डिंग के 57% बिल्डिंग व भूमि जोकि पंजीकृत बिल्डर एग्रीमेंट संलग्न नक्शा में दर्शित क्रमशः नीला रंग के पूर्ण मालिक व काबिज है।

विदित हो कि कम्पनी "आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड" को पंजीकृत बिल्डर एग्रीमेंट विलेख दिनांक:13-07-2018 में लाल रंग से दर्शित बिल्डिंग अथवा अपने 43% हिस्सा भवन या उसमें स्थित किसी भी अंश को प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित व विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वाणिज्यिक बहुमंजिली भवन जो अजनाम "गोलघर सेन्द्रल" है के वाणिज्यिक तलो में दुकानो को विक्रय करने हेतु प्रथम पक्ष के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक:06-07-2018 को आवश्यक प्रस्ताव पारित करके कम्पनी के निदेशकगण द्वारा संजय मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 बी0एन0एम0 त्रिपाठी व राजकुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 नथमल डालमिया को अधिकृत किया गया है कि उक्त बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" में दुकानो को विक्रय करने के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष की तरफ से इच्छुक क्रेताओं से विक्रय मूल्य तय करके निष्पादित होने वाले विक्रय विलेख या अन्य जो कोई भी विलेख निष्पादित करना वांछित हो को विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष के बैंक एकाउण्ट में प्राप्त करके, प्रथम पक्ष के अधिकृत निदेशकगण में से कोई एक निदेशक अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करे तथा निष्पादित विलेख को सम्बन्धित उपनिबन्धक/ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत करके अपने हस्ताक्षर से पंजीकृत करवा देवे। प्रथम पक्ष द्वारा बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" उपरोक्त में दुकान के विक्रय का एलान किये जाने पर द्वितीय पक्ष .....

.....ने बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल"

उपरोक्त में ..... तल पर स्थित दुकान संख्या-..... कवर्ड एरिया ..... वर्गफीट यानी ...  
 .... वर्गमीटर हस्ब तफसील व चौहददी जैल को उसके स्वामित्व वगैरह के सम्बन्ध में पूरी तौर पर  
 जांच पड़ताल करके व संतुष्टि कर लेने पर मुबलिग-...../-रूपया ( ..... रूपया)  
 कीमत प्रथम पक्ष को अदा करके खरीदने को तैयार है। द्वितीय पक्ष ने प्रार्थना पत्र संख्या-.....  
 दिनांक:..... द्वारा आवेदन किया गया और आवेदन पत्र के आधार पर बहुमंजिली भवन "गोलघर  
 सेन्द्रल" के ..... तल में स्थित दुकान संख्या-..... द्वितीय पक्ष को आवंटित किया गया। कीमत  
 समय व स्थिति के अनुसार माकूल व मुनासिब है। प्रथम पक्ष ने विक्रय से सम्बन्धित शर्तों से  
 द्वितीय पक्ष को अवगत करा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है इसलिए प्रथम पक्ष अपने  
 बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के ..... तल में स्थित दुकान संख्या-..... हस्ब तफसील व  
 चौहददी जैल वाका मीजा चकजलाल, तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला  
 गोरखपुर को बएवज कीमत मुबलिग-...../-रूपया ( ..... रूपया) जिसका आधा मुबलिग-.....  
 ...../-रूपया( ..... रूपया) होता है बहक व बदस्त ..... पुत्र श्री ..... को निम्नलिखित  
 पाबन्दियो व शरायतो के साथ विक्रय व बयखत्मी कर दिया है और विक्रयशुदा दुकान हस्ब  
 तफसील व चौहददी जैल का पूर्ण मालिक द्वितीय पक्ष को बनाकर काबिज दखील करा दिया है।

- (1) यह कि द्वितीय पक्ष को विक्रयशुदा दुकान के फर्श के नीचे तथा छत के ऊपर की बिल्डिंग  
 या रथान से कोई भी वो किसी भी प्रकार का स्वामित्व अधिकार या अन्य कोई अधिकार  
 प्राप्त नहीं होगा।
- (2) यह कि द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहददी जैल जिसका  
 विवरण इस विलेख के अंत में दिया जा रहा है मात्र का ही अन्तरण किया जा रहा है  
 जबकि संयुक्त रूप से प्रयोग में आने वाले स्थान के उपयोग व उपभोग का अधिकार द्वितीय  
 पक्ष को बहुमंजिली भवन के अन्य सहस्वामियो/क्रेताओ के साथ संयुक्त रूप से होगा।
- (3) यह कि द्वितीय पक्ष, विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहददी जैल में ऐसा कोई  
 नवनिर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन नहीं करेगा जिससे निर्मित बहुमंजिली भवन को किसी भी  
 प्रकार की क्षति पहुँचे तथा दिवारो पर ऐसा कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा जिससे कि अगल  
 बगल के दुकानों के अध्यासी को कोई परेशानी होवे अथवा उन्हें क्षति पहुँचे।

(6)

- (4) यह कि विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल के सटे स्थित बरामदा, लाबी, पैसेज इत्यादि में द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि सर्वदा खुला रहने देंगे ताकि बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के बाहरी परिदृश्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो।
- (5) यह कि निर्मित बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के सबसे ऊपरी छत पर प्रथम पक्ष यानी विक्रेता व संगम नरायन श्रीवास्तव वगैरह का स्वामित्व रहेगा जिसे प्रथम पक्ष व संगम नरायन श्रीवास्तव वगैरह अपने अनुसार उपयोग व उपभोग करेगे।
- (6) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल की जो दीवार संयुक्त रूप से है में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व 1/2 का ही होगा।
- (7) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान से सम्बन्धित बिजली उपभोग के बिल, गृहकर, जलकर तथा प्रत्येक प्रकार के टैक्स व चार्ज जो भी समय-समय पर आज के बाद अदाय होना पाया जावेगा को अदा करने व करते रहने के तनहा जिम्मेदार कायम रहेंगे।
- (8) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल के अन्दर तथा अन्दरूनी दीवारों पर किसी भी प्रकार की सजावट फर्नीचर व डेकोरेशन इत्यादि अपने स्वयं के खर्च से दीवार को बिना क्षति पहुँचाये करवाने के अधिकारी रहेंगे।
- (9) यह कि निर्मित बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के संयुक्त रूप में उपयोग व उपभोग में आने वाले स्थान जैसे सीढ़ी, खुली भूमि व सेट बैक पार्किंग स्पेस इत्यादि में द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण नहीं करेंगे।
- (10) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल का उपयोग व उपभोग केवल व्यवसायिक हेतु किया जावेगा
- (11) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल के अन्दर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम या कारोबार नहीं करेंगे जिससे धुआं फैले या प्रदूषण उत्पन्न हो। दुकान के अन्दर या पैसेज में या सेट बैक में जेनरेटर आपरेट करना अनुमन्य नहीं है और न होगा।

- (12) यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का कूड़ा या कोई सामान निर्मित बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के कॉमन एरिया जैसे कि सीढ़ी, छत पैसेज, सेट-बैक पर नहीं रखेगे।
- (13) यह कि प्रथम पक्ष व बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के समस्त क्रेताओ द्वारा एक पंजीकृत समिति/सोसायटी गठित किया जायेगा तथा समिति/सोसायटी के नियमों के अनुसार प्रबन्धकारिणी गठित की जावेगी।
- (14) यह कि द्वितीय पक्ष को बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के अनुरक्षण व देखभाल के लिए गठित की गयी एजेन्सी या सोसायटी का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा और सोसायटी के नियम व कानून का पालन करने के लिए भी बाध्य होगा।
- (15) यह कि बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के रख-रखाव, अनुरक्षण देखभाल तथा संयुक्त रूप से प्रयोग किये जाने वाले स्थानों के रख-रखाव में होने वाले खर्च में अपनी सहभागिता के मुताबिक लगने वाले खर्च (भाग) जो समय-समय पर बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के पंजीकृत समिति/सोसायटी द्वारा निर्धारित शुल्क की अदायगी की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष पर कायम रहेगी।
- (16) यह कि यदि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल को किसी अन्य को विक्रय/अन्तरण/किरायेदारी पर देना चाहेगा तो प्रथम पक्ष व क्रेताओं द्वारा गठित एजेन्सी या सोसायटी जो "गोलघर सेन्द्रल" के रख रखाव अनुरक्षण देखभाल के लिए गठित की जावेगी से अदेयता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
- (17) यह कि यदि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल को किसी अन्य को बेचना चाहेगा तो इस विक्रय विलेख में उल्लिखित तय हुये शरायत व पाबन्दियों के साथ ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय किया जावेगा और शरायतो वो पाबन्दियों को बाध्यता ऐसे सभी क्रेताओ व उनके वारिसानो पर भी कायम रहेगा।
- (18) यह कि दैवयोग से यदि बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" कभी नष्ट अथवा ध्वस्त हो जाता है तो द्वितीय पक्ष को जमीन में समानुपातिक अंश पर स्वामित्व प्राप्त होगा।
- (19) यह कि विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल पर जो भी स्टाम्प शुल्क व निबन्ध शुल्क संदेय है वह क्रेता द्वारा संदत्त है।

विवरण अदायगी कीमत:

विक्रेता प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से तयशुदा रकम मुबलिग-...../-रूपया (.....  
..... रूपया) जरिये चेक व आर०टी०जी०एस० भुगतान प्राप्त कर लिया है।

ज्ञात हो कि विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहददी जैल प्रत्येक प्रकार के स्वामित्व दोष व हस्तान्तरण दोष एवं प्रत्येक प्रकार के भार इत्यादि से पूर्णतः मुक्त है चाहिए कि द्वितीय पक्ष विक्रयशुदा दुकान पर उपरोक्त वर्णित पाबन्दियों व शरायतों का पूर्ण पालन करते हुए नस्लन बाद नस्लन बतौर मालिक के काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते रहे तथा जहाँ कहीं भी आवश्यक हो विक्रयशुदा दुकान हस्ब तफसील व चौहददी जैल के सम्बन्ध में अपना नाम बतौर मालिक के सरकारी अभिलेखों में दर्ज करा लेवे। यदि भविष्य में प्रथम पक्ष के किसी कृत्य या स्वामित्व दोष के कारण क्रेतागण विक्रयशुदा दुकान या उसके किसी अंश से बेदखल हो जावेंगे तो उस सूरत में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार प्राप्त हो जावेगा कि वह अपनी कुल रकम कीमत या अनुपातिक रकम कीमत अपने समस्त हर्जाना के साथ मयसूद के कम्पनी "आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्रा०लि०" की सम्पत्तियों से वसूल लेवे प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" के ..... तल पर स्थित विक्रयशुदा दुकान नम्बर----- हस्ब तफसील व चौहददी जैल का कवर्ड एरिया ..... वर्गफीट यानी ..... वर्गमीटर जिसका सरकारी मूल्यांकन मुबलिग-.....  
/-रूपया ( ..... रूपया) होता है लेकिन चूँकि विक्रय मूल्य मुबलिग-.....  
/-रूपया ( ..... रूपया) होता है इसलिए क्रेता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी मुबलिग-.....  
/-रूपया ( ..... रूपया) पर अदा है। प्रथम पक्ष द्वारा विक्रयशुदा दुकान का कोई मुआहिदाबय पंजीकृत या अपंजीकृत किसी को भी निष्पादित नहीं किया है और न ही रेहन या बन्धक किया गया है और न ही किसी भी प्रकार के बकाया में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, बैंक, सरकारी विभाग या अर्द्ध सरकारी विभाग या न्यायालय को जमानत मे ही दिया गया है। विक्रयशुदा दुकान को विक्रय करने से मनाही का कोई आदेश कम्पनी "आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्रा०लि०" के विरुद्ध निर्गत व प्रभावी नहीं है। विक्रयशुदा दुकान नगर निगम व विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर स्थित है।

(9)

इस प्रकार से इस विक्रय विलेख को अपनी अपनी स्वेच्छा व स्वस्थ बुद्धि से निष्पादित कर दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

तफसील विक्रयशुदा दुकान

बहुमंजिली भवन "गोलघर सेन्द्रल" जो अन्दर खेवट खाता नं०-2/3 प्लाट नं०-43 (खतौनी में 43मि०) व खेवट खाता नं०-1 प्लाट नं०-43मि० एवं 45मि० कुल रकबा-4490.65 वर्गमीटर मौजा चक जलाल, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर के ..... तल पर दुकान नम्बर-----, कवर्ड एरिया ..... वर्गफीट यानी ..... वर्गमीटर तथा कारपेट एरिया ..... वर्गफीट यानी ..... वर्गमीटर है, जिसकी चौहददी निम्नलिखित है तथा माप संलग्न नक्शा नजरी में दर्ज है:-

पूरब- .....

पश्चिम- .....

उत्तर- .....

दक्षिण- .....